न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील :: 25/2018

RCMS No. 2018/00368

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति जाट निवासी चौपड़ा तहसील सोजत		1. देवाराम पुत्र कनाराम 2. विरादेवी पत्नी कनाराम जातिगण जाट निवासीगण चौपड़ा 3. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित।

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 31/12/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम चौपड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1297 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 21.05.2015 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता वक्त बहस पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चौपडा के खसरा नम्बर 14 रकबा 1.4100 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट के दादा कनाराम पुत्र संग्रामराम एवं अपीलाण्ट के पिता मिश्रीलाल पुत्र कनाराम की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट के पिता एवं दादा का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अपीलाण्ट के पिता मिश्रीलाल का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2018 को होने पर उक्त भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण दायर करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, तब पटवारी हल्का द्वारा जाहिर किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट के पिता फौत होने पर उनके नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 16/1482, 887, 1219, 1220 का नामान्तरकरण दायर करते समय अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14 का भी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम दायर कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। खसरा नम्बर 14 पर न तो रेस्पोडेन्ट का कोई हक अधिकार है तथा न ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट के दादा एवं पददादा का

अति० जिला कलक्टर, पाली

नाम एवं रेस्पोडेन्ट के पिता व दादा का नाम समान होने के कारण जैर अपील नामान्तरकरण में सहवन से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14 का भी इन्द्राज कर रेस्पोडेन्ट्स के नाम खातेदारी दर्ज की गई है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलाण्ट द्वारा विधिक सलाह प्राप्त कर अपील हाजा प्रस्तुत की है, इसके बावजूद भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार कराते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार करवावे एवं अपील स्वीकार कराते हुए जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 14 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 21.05.2015 को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 21.05.2015 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 3 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी नहीं होना बताया है। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि काना पुत्र संग्राम फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण काना के वारिशान देवाराम पुत्र कनाराम, वीरादेवी पत्नी कनाराम के नाम दायर किया गया, जिसमें पृथक खाते के रूप में दर्ज कनाराम पुत्र संग्रामराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14 को भी सम्मिलित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किया गया है, जिसे एक ही वल्दियत होने के कारण दर्ज किया जाना जाहिर किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत कार्यवाही हेतु तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम चौपड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1297 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 21.05.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक कनाराम पुत्र

अति० जिला कलक्टर, पाली

संग्राम की खातेदारी भूमि एवं अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में जांच कर पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली